कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

दिनांक :- 04 SEP 2020

प्रेस नोट

रोकड़ परिवहन में निजी सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेन्सियों पर लगायी कई पाबंदियाँ

राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रोकड़ परिवहन कार्यकलाप हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2019 पारित

गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रोकड़ परिवहन कार्यकलाप हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2019 प्रभावी कर दिये गये है।

नियंत्रक प्राधिकारी, राजीव दासोत, महानिदेशक, गृह रक्षा, ने बताया है कि इन नियमों के लागू होने के बाद राज्य में कार्यरत सभी निजी सुरक्षा एजेन्सीज, जो कैश ट्रान्स्पोर्टेशन का व्यवसाय कर रही है या इसमें निजी सुरक्षा प्रदान कर रही है, वे इन नियमो में दिये गये दिशा-निर्देशो एवं निर्धारित शर्तो के अनुरूप ही कैश ट्रान्स्पोर्टेशन की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेगें।

दासोत ने बताया कि इन नियमो के अनुसार कैश ट्रान्स्पोर्टेशन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला वाहन पूरी तरह से सुरक्षित व 07 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। वाहन की लाइव ट्रेकिंग हेतु इसमें जी.पी.एस. सिस्टम व सी.सी.टी.वी कैमरा लगा होना अनिवार्य है। वाहन में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जी.एस.एम. आधारित ऑटोडायलर सिक्यूरिटी आलर्म व मोटराइजड सायरन भी होना आवश्यक है। नकदी परिवहन का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा एजेन्सी के पास रात भर कैश रखने हेतु पृथक से एक सुव्यवस्थित कैश वॉल्ट होगा जिसकी निगरानी हेतु 24X7 (तीन पारी में) हथियार बन्द सुरक्षा गार्ड व इलैक्टौनिक सर्विलेन्स सिस्टम, सी.सी. टी.वी. कैमरा नाइट विजन के साथ, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेन्सी लाईट, कन्ट्रोल रूम कैश वैन की निगरानी हेतु, ऑटो डायलर एण्ड बिगुलर होना अनिवार्य है।

नकदी परिवहन वैन के साथ न्यूनतम दो आर्म्ड गार्डस होंगे जिनमें से एक ड्राइवर के साथ आगे बैठेगा व एक वैन में स्थित कैश वॉल्ट के पास पीछे सीट पर बैठेगा। किसी भी परिस्थिति में इनमे से कम से कम एक गार्ड हमेशा वाहन के साथ ही रहेगा। निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नकदी परिवहन में लगाये गये सभी गार्डस व कार्मिको का विशिष्ट प्रशिक्षण, चरित्र व पूर्ववृत सत्यापन, क्रेडिट हिस्टरी चैक व विश्वस्तता बीमा करवाया जाना अनिवार्य है। इन नियमों के अनुसार ए.टी.एम. में नकदी डालने व नकदी परिवहन का कार्य सुबह 9 बजे से पहले एवं रात 9 बजे (शहरी क्षेत्र) व सांय 6 बजे (ग्रामीण क्षेत्र) के बाद नही होगा। कोई भी कैश वैन एक बार में अधिकतम पांच करोड से अधिक कैश लेकर नही चलेगी।

दासोत ने बताया कि राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रोकड़ परिवहन कार्यकलाप हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2019 में किये गये प्रावधानो की पालना करना सभी निजी सुरक्षा एजेन्सीज के लिए अनिवार्य है। उक्त नियमों में निर्धारित शर्तो की पालना नही करने वाली निजी सुरक्षा एजेन्सीयों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with CamScanner